न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
10/12/2020	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] न होने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9-3-2021 को पेश हो।
9/3/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित [illegible] पूर्वानुसार वास्ते [illegible] दिनांक 7-6-2021 को पेश हो।
7/9/2021	पत्रावली जवाब तारीख पेशी की नियत हुई। पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित, पत्रावली वास्ते वकील हाजिर दिनांक 29-11-2021 को पेश हो।
29/11/2021	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 24-2-2022 को पेश हो।
24/2/2022	पत्रावली पेश हुई। बादी व बादी वकील [illegible] नहीं। प्रकरण में बार-बार बादी व वकील को आवाज लगवायी गयी। आवाज लगवाने के बावजूद बादी व बादी [illegible] नहीं। लिहाजा बादिर [illegible] बादी वकील प्रकरण [illegible] से रद्द है। अतः [illegible] काम नोटू अदम पैरवी व अदम [illegible] में [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] कर दफ्तर की जाय।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:06:02
Reason: SelfAttested